Received through Mail Dt 16.04.26

पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / HRMS-04 / 2025, सो० 1033

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना।
विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव, सभी विभाग।
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 15/04/2026

विषयः– **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना अंतर्गत विकसित Exit Management Modual लागू करने हेतु विभागीय मास्टर ट्रैनर एवं संबधित कर्मियों का Vertual प्रशिक्षण के संबंध में।**

प्रसंगः– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक–422, दिनांक–13.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना अंतर्गत विकसित Exit Management Modual लागू करने के लिये विभागीय मास्टर ट्रैनर एवं स्थापना के संबधित कर्मियों का दिनांक–21.04.2026 एवं 22.04.2026 को दो–दो पालियों में Vertual प्रशिक्षण संलग्न विवरणी के अनुसार विभागवार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सचिवालय स्थित निदेशालय एवं अन्य कार्यालयों के सेवांत लाभ के कार्य से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी पैतृक विभाग के लिये निर्धारित पाली में भाग ले सकते है।

निर्धारित Vertual प्रशिक्षण के लिये Microsoft Team का लिंक विभागीय आई०टी० प्रबंधकों को पाली प्रारम्भ होने के 1 घण्टा पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिसे उनके द्वारा संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के बीच प्रचालित कर दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को उक्त Vertual प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करने के लिये अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

15.4.26

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :– बि०प्र०सु०मि०सो० / HRMS-04 / 2025 दिनांक 1033 / 15.04.2026

प्रतिलिपि :– परियोजना प्रबंधक (HRMS) एवं M/S IPE Global India Ltd., पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.4.26

विशेष कार्य पदाधिकारी

विशेष सचिव, कोषांग
डायरी सं० 871
दिनांक 16/04/26
मानव संसाधन विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14 / विविध–18–12 / 2024– 2054 / पटना, दिनांक– 17/4/26

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
उप सचिव / अवर सचिव, मुख्यालय स्थापना प्रभारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
~~अवर~~ उप सचिव (लेखा), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

निदेशानुसार अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) का पत्रांक–1033 दिनांक–15.04.2026 द्वारा दिये गये निदेश एवं निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार अपने अधीनस्थ संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों को ससमय (दिनांक–22.04.2026, द्वितीय पाली, समय 3:00 PM से 4:30 PM) प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

17/04/26
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (HRMS)

ज्ञापांक–14 / विविध–18–12 / 2024– 2054 / पटना, दिनांक– 17/4/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/04/26
अवर सचिव (प्रबंधन)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (HRMS)

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) अंतर्गत Exit Module लागू करने के लिए विभागीय मास्टर ट्रेनर्स तथा युजर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

क्र.सं.	तिथि	प्रथम पाली (11:30 पूर्वाह्न से 01:00 अपराह्न)	द्वितीय पाली (03:00 अपराह्न से 04:30 अपराह्न)
1	21.04.2026	1.सूचना प्रावैधिकी विभाग, 2.विज्ञान प्रावैधिकी विभाग एवं तकनिकी शिक्षा विभाग, 3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, 4.पथ निर्माण विभाग, 5.परिवहन विभाग, 6.भवन निर्माण विभाग, 7.उर्जा विभाग, 8.नागरिक उड्डयन विभाग, 9.नगर विकास एवं आवास विभाग, 10.पर्यटन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 12.ग्रामीण कार्य विभाग।	1.श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, 2.युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, 3.पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 4.अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 5.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, 6.समाज कल्याण विभाग, 7.सामान्य प्रशासन विभाग, 8.वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, 9.खान एवं भूतत्व विभाग, 10.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 11.कला एवं संस्कृति विभाग।
2	22.04.2026	1.मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, 2.विधि विभाग, 3.गृह विभाग, 4.सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 5.संसदीय कार्य विभाग, 6.योजना विभाग, 7.निगरानी विभाग, 8.निर्वाचन विभाग, 9.मद्यनिषेद, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, 10.गन्ना उद्योग विभाग, 11.सहकारिता विभाग 12. उद्योग विभाग 13.बिहार विधान सभा सचिवालय, 14.बिहार विधान परिषद सचिवालय	1.कृषि विभाग, 2.डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, 3.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 4.खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, 5.लघु जल संसाधन विभाग, 6.पंचायती राज विभाग, 7.जल संसाधन विभाग, 8.शिक्षा विभाग, 9.स्वास्थ्य विभाग, 10.उच्च शिक्षा विभाग, 11.खेल विभाग 12.ग्रामीण विकास विभाग

नोटः- सचिवालय परिसर स्थित सभी विभागीय कार्यालय (निदेशालय आदि) भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे।